भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 586
06.02.2023 को उत्तर के लिए

तटीय क्षेत्रों में कटाव को रोकने के उपाय

586. श्री एस. रामलिंगम :
श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मयीलाडूतुरै और नागपट्टिनम जिलों में निचले इलाकों में कटाव को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) को स्थायी निकाय बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार बाढ़ के कारण कटाव को रोकने के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में एक विशेष वन क्षेत्र विकसित करने की योजना बना रही है;
(घ) यदि हां, तो क्या बिहार में कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में कटाव को रोकने के लिए वन क्षेत्रों को विकसित करने की कोई योजना है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) तटीय संरक्षण का विषय राज्यों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तदनुसार, तटीय क्षेत्रों में अपरदन नियंत्रण के उपाय संबंधित तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी वरीयता के अनुसार तैयार और क्रियान्वित किए जाते हैं। संघ सरकार तकनीकी सहायता, विनियामक उपायों द्वारा और मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए राष्ट्रीय तटीय मिशन जैसी स्कीमों से वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है। सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समग्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) परियोजना के तहत उच्च रिजोल्यूशन वाली एरियल तस्वीरों तथा उपग्रह चित्रों से संगणित अपरदन की वार्षिक दर पर आधारित अगले 100 वर्षों के लिए प्रस्तुत अपरदन रेखा, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा निष्पादित खतरा रेखा मानचित्रण के भाग के रूप में, भारतीय सर्वेक्षण के साथ समन्वित रूप से 'राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केन्द्र (एनसीएससीएम), चेन्नई द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने वाली संपूर्ण तटरेखा पर संरेखित कर दी गई है।

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय भागों, समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण तथा सुरक्षा की दृष्टि से एवं मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 अधिसूचित की गई है। हालांकि, तटीय विनियम तटों पर अपरदन नियंत्रण उपायों के लिए व्यवस्था करने की अनुमति देते हैं। इस अधिसूचना में भारत की तटरेखा को अतिक्रमण, अपरदन और अभिवृद्धि से बचाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तटीय क्षेत्रों के साथ 'नो डेवलपमेंट जोन' (एनडीजेड) का भी प्रावधान किया गया है।

(iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी तटीय राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देशों के साथ-साथ तटीय सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई है।

(iv) जलशक्ति मंत्रालय की 'बाढ़ प्रबंधन' योजना, जिसमें समुद्री अपरदनरोधी स्कीमें शामिल हैं, राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों की वरीयता के अनुसार अपने निजी संसाधनों से नियोजित और कार्यान्वित की जाती हैं। संघ सरकार राज्यों को सहायता प्रदान करती हैं जिसकी प्रकृति तकनीकी, परामर्शी, उत्प्रेरक और संवर्धनात्मक होती है।

(v) तटीय सुरक्षा उपायों की दिशा में तटीय प्रक्रियाओं के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण के महत्व को समझकर, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीम 'जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास' के तहत एक नया घटक 'तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) की शुरूआत की गई थी। सीएमआईएस निकटवर्ती तटीय आंकड़ों के संग्रहण करने वाला एक आंकड़ा संग्रहण कार्यकलाप है जो संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में स्थान-विशिष्ट तटीय सुरक्षा ढांचे के नियोजन, डिजाइन तैयार करने, निर्माण और रखरखाव के लिए उपयोग किया जा सकता है। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में से, प्रत्येक राज्य में, तीन साइटों की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत 26 नवंबर, 1998 को 'राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) का गठन किया था। एनसीजेडएमए में 25 सदस्य हैं, जिसमें से 24 पदेन सदस्य हैं और एक गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य है जो एनसीजेडएमए को वस्तुत: स्थायी और सतत प्राधिकरण बनाता है।

(ग) से (ड.) संघ सरकार अपरदन को रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में कच्छ वनस्पतियों सहित, देश में वन और वृक्षावरण बढ़ाने हेतु अनेक स्कीमें लागू कर रही है। 'कच्छ वनस्पति और प्रवाल भितियों के संरक्षण और प्रबंधन' की स्कीम को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में निधि साझाकरण के आधार पर लागू किया जा रहा है। बिहार के जिलों सहित देशभर में वनीकरण को बढ़ावा देने वाली अन्य स्कीमें/कार्यक्रम जैसे प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम आदि भी हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपने-अपने संरक्षण और वनीकरण कार्यक्रम भी हैं जिनमें कच्छ वनस्पति भी शामिल है।

*****